लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स तिरूपति एच.पी., प्रो0–श्री राजीव रंजन प्रसाद सिंह, पिता–श्री सुखदेव प्रसाद सिंह, शमशेर नगर, दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद द्वारा भोजपुर सोन–38 बालू घाट, मौजा–फतेहपुर, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 24.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय, सहार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2397/2023, dated 20.05.2023 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 24.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 21.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन

पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (960 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री विनोद राय, ग्राम–फतेहपुर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान धूल–कण उड़ेगा, उसके लिए पानी का छिड़काव किया जायेगा, उसके लिए पैसा कौन देगा। धूल की समस्या कैसे दूर होगी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव बालू घाट के पट्टा धारक के द्वारा किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जायेगा।
2.	श्री उमेश सिंह, ग्राम–कराव, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा सुझाव दिया कि स्कूल के खुलने एवं बंद होने के समय रोड पर आधा घंटा ट्रक के आवागमन को रोक दिया जाय, ताकि बच्चों को परेशानी न हो।
3.	श्री सोनू सिंह, ग्राम–भौरी, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि Ambulance का कोई समय नहीं होता है। अगर Ambulance को जाम का सामना करना पड़े तो मरीज का क्या होगा ? पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि Traffic जाम की समस्या नहीं होगी। EMP में Traffic की संख्या की गणना की जाती है। Traffic Rule का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

[illegible]	श्री रवि कुमार सिंह, ग्राम–[illegible] जिला–भोजपुर	[illegible] बालू खनन परियोजना से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। उससे स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। जबकि 2% राशि प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए संचिका की जाती है। खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भोजपुर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स तिरूपति एच.पी., प्रो0–श्री राजीव रंजन प्रसाद सिंह द्वारा भोजपुर सोन –38 बालू घाट, मौजा–फतेहपुर, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, सहार दिनांक 24.08.2023 समय–11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सत्य प्रकाश	समाहरणालय, भोजपुर	[signature] 24/8/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी बिहार प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 24-8-23
3.	[illegible] कुमार	आरा भोजपुर	[signature]
4.	[illegible] कु० [illegible]	खनिज विभाग [illegible], भोजपुर	[signature] 24/08/2023
5.	रमानन्द ठाकुर	खान निरीक्षक भोजपुर	[signature] 24/8/23
6.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	P&M Solution Noida. UP.	Rajesh
7.	दीपक कुमार सिंह	फतेहपुर	DIPAK Singh
8.	केशव यादव	खैरा	Keshav Prasad
9.	Suraj Singh	Ara	[signature]
10	Pinku Singh	बड़की खड़ाव	[signature]
11	Indrajeet Singh	छोटकी खड़ाव	[signature]
12	Manoj Kumar	Anahari	[signature]
13	प्रदीप कुमार	अंधारी	Pradeep
14	संदीप कुमार	फतेहपुर नहिया	[signature]
15	Amit Kumar	Badki Khadaw	Amit

16	Rajan Kumar	[illegible]	[illegible]
17	रवि कु० सिंह	फतेहपुर	Ravi kr. Singh
18	संतोष कु० सिंह	[illegible]	[illegible]
19	Rajnish Kumar	आरा	Rajnish Kumar
20	sonusingh	Bhawani	Sonu singh
21	Brij mohan	Bagsiddharow	Brij mohan
22	उमेश [illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	रामाश्रय राय	धर्मपुर	Ram
25	[illegible]	फतेहपुर	[illegible]
26	जीतेन्द्र कुमार	रघाइला	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	मनोज कुमार सिंह	फतेहपुर	मनोज कुमार सिंह
29	विनोद राय	फतेहपुर	विनोद राय
30	रवि राय	फतेहपुर	रवि राय
31	मनोज कुमार राय	फतेहपुर	मनोज कु० राय
32	दीनबन्धु प्रसाद	आरा	दीनबन्धु प्रसाद
33			
34			